41–(08)–15–2017

पटना में दिनांक–01 नवम्बर, 2017 बुधवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः–

सामान्य प्रशासन विभाग

1. कैमूर, भभुआ न्यायमंडल के अंतर्गत अनुमंडलीय न्यायालय, मोहनिया में सिविल जज (कनीय कोटि) संवर्ग में अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी के 01 (एक) पद, मुंसिफ के 01 (एक) पद एवं न्यायिक दंडाधिकारी के 02 (दो) पद कुल 04 (चार) पदों का ₹41,04,700/– (इकतालीस लाख चार हजार सात सौ रूपये) मात्र के कुल अनुमानित वार्षिक व्यय भार पर सृजन की स्वीकृति।

1. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

2. आउट सोर्सिंग के तहत प्रदान/प्राप्त की जाने वाली सेवाओं में आरक्षण लागू करने के संबंध में।

2. **स्वीकृत।**

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

3. जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा संविधान की धारा–275(1) के तहत एकलव्य मॉडल के अन्तर्गत स्वीकृत दो आवासीय विद्यालय यथा, बेलाटाडी, रामनगर, प० चम्पारण एवं आस्ता, झाझा, जमुई में आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण कराने की प्रशासनिक स्वीकृति तथा आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य स्कीम से प्रति आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों को 720 आसन वाले एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति।

3. **स्वीकृत।**

पर्यटन विभाग

4. श्री गुरू गोबिन्द सिंह जी महाराज के 350वॉ प्रकाशपर्व के समापन समारोह के आयोजन के अवसर पर पटना में दो स्थानों पर अस्थायी टेंट सिटी निर्माण हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद अन्तर्गत राशि 48,00,00,000/–(अड़तालीस करोड़) रूपये तथा अस्थायी टेंट सिटी हेतु भूमि के समतलीकरण एवं किसानों को फसल क्षतिपूर्ति आदि के भुगतान हेतु 4,00,00,000/– (चार करोड़) रूपये कुल राशि 52,00,00,000/–(बावन करोड़) रूपये मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान करने एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 में उक्त राशि को बिहार आकस्मिकता निधि से उपलब्ध कराने की स्वीकृति।

4. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

6. बिहार पथ निर्माण विभाग अमीन संवर्ग (क्षेत्रीय स्थापना) (भर्ती एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2017 की स्वीकृति के संबंध में। — 6. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

7. बेल्ट्रॉन के Secretariat Local Area Network (SECLAN) परियोजनाओं हेतु पटना के विभिन्न सरकारी भवनों तक Connectivity प्रदान करने हेतु राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन भू–खण्डों/सड़कों पर भूमिगत रूप से Optical Fiber cable बिछाने संबंधी कार्य हेतु भूमि उपयोग शुल्क (Land used charge) तथा पथ कटिंग पुर्नस्थापन राशि वसूलनीय नहीं होने के संबंध में। — 7. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

8. वित्त विभागीय पत्रांक–3ए–1–मुक०–162/2014–177, दिनांक–07.01.2015 के द्वारा यक्ष्मा सहायक, स्वास्थ्य विभाग के स्वीकृत वेतनमान का वास्तविक लाभ दिए जाने के संबंध में। — 8. **स्वीकृत।**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

9. राज्य के दो (2) जिलों यथा पश्चिम चम्पारण एवं औरंगाबाद मे नवस्वीकृत पोलिटेकनिक संस्थानों में प्रति संस्थान 35 (पैंतीस) शैक्षणिक तथा 38 (अड़तीस) गैर शैक्षणिक अर्थात कुल 70 (सत्तर) शैक्षणिक तथा 76 (छिहत्तर) गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 9. **स्वीकृत।**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

10. विभागान्तर्गत छः पोलिटेकनिक संस्थानों में नया डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु राज्य स्कीम मद के अधीन सृजित 40 (चालीस) राजपत्रित (शैक्षणिक) एवं 16 (सोलह) अराजपत्रित (गैर शैक्षणिक) के अस्थायी पदों का स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में स्थानान्तरण की स्वीकृति के संबंध में। — 10. **स्वीकृत।**

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

11. 8000 नवनियुक्त सिपाहियों (महिला सहित) के प्रशिक्षण हेतु राज्य के 8 बी०एम०पी० केन्द्रों में 1000–1000 क्षमता के प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु संशोधित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹ 15064.09 लाख (एक सौ पचास करोड़ चौंसठ लाख नौ हजार रू०) की नयी स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति देने एवं राशि का व्यय चालू एवं अनुवर्ती वर्षों में करने के संबंध में। — 11. **स्वीकृत।**